

विषय:

एफ-22-53/2016/पैतीस

का विभाग

विषय- याचिका क्रमांक WP 2686/16 द्वारा श्री राजकुमार बर्मन एवं अन्य, मण्डला विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

पंजी क्रमांक 1193/2016, दिनांक 1.3.2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP 2686/16 द्वारा श्री राजकुमार बर्मन एवं अन्य, मण्डला दायर की गई है।

प्रकरण में संचालक, पशुपालन द्वारा शासन की ओर से पक्ष समर्थन एवं प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मण्डला को प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

यदि मान्य हो तो संचालक पशुपालन के प्रस्तावानुसार उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मण्डला को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अ.अ.

अ.अ. (1) on leave

हस्ताक्षर A अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

P.S.

8.3.16

5-316

प्र.अ. यथा प्रस्तावित

8.3.16

5-316

8/3/16

8.3.16

8.3.16

2' 0

छत्तीस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-22-53/2016/पैतीस

का विभाग

विषय- याचिका क्रमांक WP 2686/16 द्वारा श्री राजकुमार बर्मन एवं अन्य, मण्डला विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

2686

हैन्दू प्रतिपां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

श्री

अस

50(V)

0

778-99/16/35

कैबिनेट - 10/3/16

8-3-16

8/3/16

8-3-16

8/3/16

प्रकरण में विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी किए जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अ.अ.

अस

DS

विधि विभाग

10-3-16

11/3/16

11-3-16

10/3/16

778-99/16/35
दि. 11/3/2016

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर- प्रति नस्ती पर रस्ती है।

(अभिमत मिश्र)
अति-सचिव
विधि विभाग

पशुपालन विभाग

CCNS14

53/16

जंजी	1193/16/55
दिनांक	01/02/16
पशु पालन विभाग	

संचालनालय पशुपालन
मध्यप्रदेश भोपाल

कमांक 2106 / विप्र / 1645 / जबलपुर / WP 2686 / 2016 भोपाल
प्रति

दिनांक 29/02/16

अवर सचिव
म प्र शासन पशुपालन विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय:- याचिका कमांक WP 2686/16 द्वारा श्री राज कुमार बर्मन एवं अन्य स्वीपर जिला मण्डला विरुद्ध म प्र शासन एवं अन्य।

श्री राज कुमार बर्मन एवं अन्य स्वीपर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक WP 2686/16 दायर की गई है।

प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन तथा प्रत्यावर्तन की कार्यवाही हेतु उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मण्डला को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार शासनादेश जारी करने का कष्ट करे।

संलग्न:- पत्र की प्रति।

संचालक 27/02/16
पशुपालन
भोपाल मध्यप्रदेश

कमांक / विप्र / 1645 / जबलपुर / WP 2686 / 2016 भोपाल
प्रतिलिपि

- 1 कार्यालय महाधिवक्ता मा उच्च न्यायालय जबलपुर।
- 2 उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मण्डला। शासनादेश की प्रत्याशा में शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे साथ ही याचिका की प्रति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- 3 नोडल अधिकारी विधि प्रकोष्ठ कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जबलपुर। कृपया याचिका की प्रति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- 4 अधीक्षक स्थापना-अ शाखा संचालनालय पशुपालन भोपाल।

संचालक
पशुपालन
भोपाल मध्यप्रदेश

CA 1/2/16
29.2.16

1645
529
24-2-16
कार्यालय संयुक्त संचालक पशु पालन विभाग
(विधि प्रकोष्ठ) जबलपुर-संभाग-जबलपुर

क्रमांक 117 / वि०प्र० / 15-16- /
प्रति,

जबलपुर / दिनांक 08/2/2016

संचालक,
पशु पालन विभाग
म०प्र०, भोपाल


विषय :- न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP/2686/2016 द्वारा राज कुमार वर्मन व अन्य
विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य ।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन कर लेख है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिका माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर में म०प्र० शासन एवं अन्य के विरुद्ध दायर की गई है ।


विषयांकित याचिका में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की कृपा करें ताकि निर्धारित समयावधि में शासकीय अधिवक्ता से प्रत्यार्दतन तैयार करवाया जा सके ।

संलग्न :- प्रकरण की संक्षेपित जानकारी ।



डा० के०के० चौधरी
(नोडल अधिकारी)

कार्यालय संयुक्त संचालक, प० पा० वि०
विधि प्रकोष्ठ, जबलपुर संभाग-जबलपुर
दूरभाष व फैक्स - 2626056



Pending

Registration Date 05-02-2016

Case Detail WRIT PETITION (WP) 2686/2016

DA Name

First Entry Clerk Filing Clerk 2 On 05-02-2016 12:55:29

Last Updated By Checker 14 On 05-02-2016 03:53:11

Last Listed On

Last Order

Update On **NOT UPDATED**

Status Pending

Stage

(32. FRESH)

Statutory Info. [(1)LEGIBLE COPIES / TYPED COPIES-TYPE COPY OF ANNEX P-1(Entered on : 05-02-2016)]

Bench Single Bench

Scanning Info The Judgment/Order has NOT been Scanned ..!

Category SERVICE RELATING TO STATE GOVT.-17100

Salary Matter-17140

Salary Matter-17140

Act A PETITION FILED UNDER ARTICLE 226 AND/OR 227 OF CONSTITUTION

Petitioner(s) 1 RAJ KUMAR BARMAN S/D/W/Thru:- SHRI GANGA SHANKAR BARMAN
POSTED AS DAILY WAGER (SWEEPER) VETERINARY HOSPITAL GHOTAS DIST. MANDLA , Mandla , MADHYA PRADESH

2 PREMCHAND MARSKOLE S/D/W/Thru:- SHRI DUMMA PRASAD MARSKOLE
POSTED AS DAILY WAGER (SWEEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , Mandla , MADHYA PRADESH

3 VEER SINGH PANDRO S/D/W/Thru:- SHRI HARILAL PANDRO
POSTED AS DAILY WAGER (SWEEPER) VETERINARY HOSPITAL SUKTARA DISTT. MANDLA , Mandla , MADHYA PRADESH

Respondent(s) 1 THE STATE OF MADHYA PRADESH
THROUGH DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPT. BHOPAL , Bhopal , MADHYA PRADESH

2 JOINT DIRECTOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTEMENT
DISTT. JABALPUR , Jabalpur , MADHYA PRADESH

3 DEPUTY DIRECTOR VETERINARY SERVICES MANDLA
DISTT. MANDLA , Mandla , MADHYA PRADESH

Pat. Advocate(s) ANIRUDDH KUMAR MISHRA

GANESH PRASAD TIWARI

DAYA SHANKAR DWIVEDI

Resp. Advocate(s) ADVOCATE GENERAL

Caveat No.

District MANDLA

U/Section II

My Dashboard

मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2016

क्रमांक एफ-22-53/2016/पैतीस - प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला मण्डला को प्रकरण क्रमांक WP 2686/2016 श्री राजकुमार बर्मन में मध्यप्रदेश राज्य शासन के लिए तथा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसांजात होने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में, जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेंगे जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हे साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- (7) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत रखना।
- (8) जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तथा तब वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाए।

**संचालनालय पशुपालन विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल**

क्रमांक-1988/स्था.ब/लिपिक/2014/भोपाल,

दिनांक: 11.02.2014

//आदेश//

याचिका क्रमांक W.P.-2051/2011 द्वारा श्री अशोक यादव, प्रयोगशाला तकनीशियन कार्यालय संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान रसलपुरा महुँ में मान. उच्च न्यायालय छण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.12 को निर्देश जारी किए गए कि प्रतिवादी क.1 यथा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पशु पालन विभाग एवं प्रतिवादी क.2 यथा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) संबंधितों के वेतन पुनः निर्धारण संबंधी प्रकरण पर नए सिरे से विचार करें।

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग के पत्र क. एक 22-34/2011/35 दिनांक 20.01.14 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मान. न्यायालयीन निर्देशों के पालन में समिति की बैठक दिनांक 25.03.13 को आहूत की गई। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि "वर्ष 2006 के पूर्व नियुक्त प्रयोगशाला तकनीशियनों को अन्य विभागों में पदस्थ प्रयोगशाला तकनीशियनों की शैक्षणिक अर्हता/प्रशिक्षण समान न होने के कारण ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा के अनुसार अन्य विभागों के प्रयोगशाला तकनीशियनों के समान वेतनमान स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।"

अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपका अभ्यावेदन अमान्य किया गया है।

संलग्न- शासन का पत्र दिनांक 20.01.14

(डॉ.आर.के.सिन्हा)

संचालक

पशुपालन मध्यप्रदेश

भोपाल

पृ.क्रमांक 1989/स्था.ब/लिपिक/2014/भोपाल,

दिनांक: 11.02.2014

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महुँ इंदौर।
4. संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर संभाग इंदौर/भोपाल/रीवा/जबलपुर/सागर म.प्र.।
5. नोडल अधिकारी विधि प्रकोष्ठ संचालनालय पशु पालन विभाग भोपाल।
6. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल।
7. उपसंचालक विधि प्रकोष्ठ कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जबलपुर।
8. संबंधित श्री डॉ.आर.के.सिन्हा प्रयोगशाला तकनीशियन, द्वारा संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान रसलपुरा महुँ इंदौर/संयुक्तसंचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, संभाग/जिला इंदौर को याचिका क.405.1.1.9 में पारित निर्णय दिनांक 27.1.14 के पालन में सूचनार्थ।



संचालक

पशुपालन मध्यप्रदेश

भोपाल

- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कलिस्ता कुजूर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग
भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2016

पृ.कमांक एफ-22-53/2016/पैंतीस
प्रतिलिपि-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. कार्यालय-महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय जबलपुर।
4. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला मण्डला प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग